



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 143-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 28 अगस्त, 2018
(06 भाद्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान 1. अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 51/संवि0/अनु0 309/2018, दिनांक 28 अगस्त, 2018 पंजाब पुलिस (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	621-622
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग - III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 2018

संख्या सा0का0नि0 51/संवि0/अनु0 309/2018.— हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25), की धारा 92 की उप धारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब पुलिस नियम, 1934, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम पंजाब पुलिस (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम 2018, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब पुलिस नियम, 1934 में, नियम 12.16 में, उप नियम (9) में, खण्ड (क) में,—
 - I. उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(i) यदि आवेदक के पिता, माता, पति-पत्नी, भाई (भाईयों) और बेटा (बेटों) में से कोई भी व्यक्ति, हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कम्पनी, वैधानिक निकाय, आयोग या प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं हैं/नहीं था/नहीं रहा है, तो पांच (05) अंक दिए जाएंगे;” तथा
 - II. अन्त में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक-आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के लिए दस अंक से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।”

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**HOME DEPARTMENT****Notification**

The 28th August, 2018

No. G.S.R. 51/Const./Art. 309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with sub section (1) of Section 92 of the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Punjab Police Rules, 1934, in their application to the State of Haryana, namely:—

1. These rules may be called the Punjab Police (Haryana Second Amendment) Rules, 2018.
2. In the Police Rules, 1934, in rule 12.16, in sub-rule (9),-
 - I. In clause (a), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
 - (i) Five (05) marks shall be given if no person from amongst the applicant's father, mother, spouse, brother(s), son(s) is/was/has been a regular employee in any Department, Board, Corporation, Company, Statutory Body, Commission or Authority of Haryana Government or any other State Government or Government of India;".
 - II. For the existing proviso at the end, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that no applicant shall be given more than ten (10) marks under any circumstances for socio-economic criteria and experience."

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.